

आईबीसी, 2016 के अंतर्गत ई-नीलामी बिक्री सूचना
मै. आरजी इन्फ्रा-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में), CIN: U70101DL2005PTC135052
की आईबीसी, 2016 के अंतर्गत बिक्री सूचना
पंजी. कार्या: जी-02, भुतल, प्लॉट नं. एसयू एलएससी बी-ब्लॉक, आरजी सिटी सेंटर,
लॉरेन्स रोड, दिल्ली-110035
परिसमापक का कार्यालय: 1670/120, शान्ति नगर, जिनगर, दिल्ली-110035

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि आयोग, कोर्ट-II, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा गोइन करने के रूप में मै. आरजी इन्फ्रा-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की धित्री। अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <https://ncltauction.auctiontiger.net> द्वारा यह बिक्री की जाएगी।

विवरण	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (आईएनआर)	ईएमडी रशि एवं दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा	बोली खुद्री मूल्य
सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों के साथ गोइन करने के रूप में मै. आरजी इन्फ्रा-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की धित्री।	तिथि: 30.6.2023 समय: 3.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 5,75,00,000/- (रु. पांच करोड़ पचाहतर लाख मात्र)	रु. 50,00,000/- (रु. पचास लाख मात्र) 26.6.2023	रु. 2,00,000 (रु. दो लाख मात्र)

निरीक्षण की तिथि: परिसमापक को पूर्व सूचना देकर 22.6.2023 के 5.00 बजे अप. तक ईआईआई जमा करने की अंतिम तिथि: 26.6.2023 के 5.00 बजे अप. तक

प्रस्तावित नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

- ई-नीलामी "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है", "जो कुछ भी वहां है" तथा "उपचार-रहित आधार पर आयोजित होगी तथा इस प्रकार यह बिना किसी वारंटीज तथा क्षतिपूर्ति के होगी तथा स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्सीमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (<https://ncltauction.auctiontiger.net>) द्वारा आयोजित होगी।
- भोलियों निर्धारित प्रारूप में परिसमापक के पास ऑनलाइन जमा की जाएगी। सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के साथ बोली प्रपत्र वेबसाइट <https://ncltauction.auctiontiger.net> से डाउनलोड की जा सकती है। सम्पर्क: श्री प्रवीण, +91-9722778828, ई-मेल: praveen.thevar@auctiontiger.net, nclt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net
- कम्पनी के साथ अंतरित की जाने के लिये पहचान की गई परिसम्पत्तियों का विवरण उक्त ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में दी गई है।
- परिसमापक को उसका कोई भी कारण बतावे बिना किसी भी चरण में किसी या सभी भोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/निलम्बित/निरस्त करने या सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ई-नीलामी से वापस लेने का अधिकार है।
- यह धित्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के अधीन होगी।

राकेश कुमार जैन, परिसमापक

तिथि: 10.6.2023
स्थान: नई दिल्ली

पंजी: IBBI/IBBI/PA-001/IP-P01297/2018-19/12068
ईमेल: rginfrabuild@gmail.com

